S.P.-I 2565

(6)

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक प्रथम

प्रतिज्ञा पत्र विक्रय बिला कब्जा

आवंटित वी. कोड:- 1080

महायदा मूल्य	:- 71,50,000/-रूपये
अग्रिम धन	:- 17,00,000/-रूपये
स्टाम्प शुल्क	:- 1,43,000/-रूपये

हम कि ममनून अली (AADHAR NO-2630 9428 8389) व मौहम्मद अली

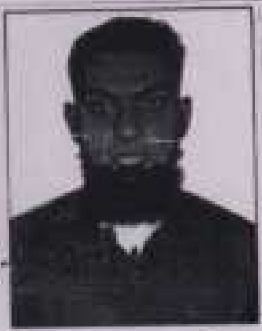

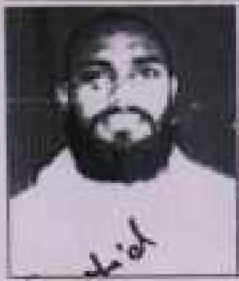

(AADHAR NO-6450 0554 5200) व मौहम्मद अहमद (AADHAR NO-4052 1628 9772) पुत्रगण मकसूद अली व मौहम्मद इनाम (AADHAR NO-4755 0089 0874) व मौहम्मद इकराम (AADHAR NO-8814 7549 2316) व अब्दुल कादिर (AADHAR NO-6835 2300 2975) व अब्दुल

वाहिद (AADHAR NO-6976 7503 0507) पुत्रगण स्वर्गीय श्री सदाकत अली व **श्रीमति खुरशैदी** (AADHAR NO. 9724 1050 5964) पत्नी स्वर्गीय श्री सदाकत अली निवासीगण ग्राम सूजडू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष व **वसुन्धरा इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0** (PAN NO-AADCV8074B) वसुन्धरा रैजीडेन्सी परिक्रमा मार्ग सरकुलर रोड शहर मुजफ्फरनगर परगना व

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP03070862115998P
Certificate Issued Date	:	10-Apr-2017 12:01 PM
Account Reference	:	NONACC (BK)/ upcbibk02/ MUZAFFARNAGAR2/ UP-MJF
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPCBIBK02036815008749 16P
Purchased by	:	VASUNDHARA INFRABUILD P L TH DIR AMIT KUMAR AND OT
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	AGRICULTURE LAND SITUATED AT VILL SUJRU, KHASRA NO-2155,PARGANA, MUZAFFARNAGAR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MAMNUN ALI SO MAKSUDH ALI AND OTHERS
Second Party	:	VASUNDHARA INFRABUILD P L TH DIR AMIT KUMAR AND OT
Stamp Duty Paid By	:	VASUNDHARA INFRABUILD P L TH DIR AMIT KUMAR AND OT
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,43,000 (One Lakh Forty Three Thousand only)

Please write or type below this line

तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वारा डायरेक्टर अमित कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र

006056391

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

पाल सिंह निवासी मकान नम्बर 438/28 मौहल्ला सुमन विहार शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व जय अम्बे डेवलेपर्स 273/1 सिविल लाईन उत्तरी मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर श्रीमति शालिनी गुप्ता (AADHAR NO-6718 7702 2504) पत्नी श्री मुनीश कुमार निवासी मकान नम्बर 84/3बी नई मण्डी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष के है।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति तन्हा प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है, और जिसके बारे मे प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्ष के कब्जे व अधिकार मे है, और जो इस समय तक हर प्रकार के भार बन्धक आदि से कतई स्वच्छ एंव मुक्त है। किसी वित्तीय संस्थान या व्यक्तिगत वित्तीय संस्थान मे बन्धक नही है, और न ही किसी जमानत मे दी हुई है, और जिसके बारे मे प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है।

प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने का सौदा द्वितीय पक्ष से कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा मे होकर अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को मय उससे सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारो के न रखने शेष किसी भी अधिकार के अपनी आवश्यकता वश अपने परिवार के परामर्श व सहमति से निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने के सौदा **इकहात्तर लाख पचास हजार 71,50,000/–**रूपये मे द्वितीय पक्ष को किया है, और द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को मौके पर देख लिया है, और समझ लिया है, और उसके आकार प्रकार तथा उसमें प्रथम पक्ष के अधिकारो के

प्रति अपनी पूरी जानकारी और तसल्ली कर ली है कि यह सही है, और द्वितीय,प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को उक्त मूल्य में क्रय करने के लिये तैयार है, दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये दिनांक **11–11–2018** ई0 तक का समय निश्चित करते है, प्रथम पक्ष ने मुबलिग **सतरह लाख** 17,00,000/–रूपये अग्रिम धन में द्वितीय पक्ष से चैक्स एच0डी0एफ0सी0 बैंक द्वारा प्राप्त किये है। जो बैनामे के निष्पादन के समय जरे कीमत में मुजरा किये जावेगे तथा शेष जरे कीमत द्वितीय पक्ष बैनामे के समय अदा करेगा। अतः दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये निम्न धाराओ के पाबन्द रहेगे।

नं01:– यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त निश्चित की गई अवधि के अन्तर्गत जब भी द्वितीय पक्ष बैनामा कराना चाहे अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का बैनामा तय की गई उक्त धनराशि में बहक द्वितीय पक्ष बिना किसी आपत्ति के कर देगा यदि प्रथम पक्ष उक्त अवधि के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के बैनामा कराने के बावजूद बैनामा नकरे तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शेष विक्रय मूल्य अदालत के अधिकार में जमा करके बैनामा द्वारा अदालत अपने हक में करा लेवे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। नं02:–यह कि यदि उपरोक्त अवधि । के भीतर प्रथम पक्ष के बैनामा करने के बावजूद, द्वितीय पक्ष बैनामा न कराये और कराने से इन्कार करे, तो ऐसी समस्त दशाओ में द्वितीय पक्ष को दिया हुआ

Mohammad Ali

A. Qadir

A Wahid

Aman

Shalini Gupta

अग्रिम धन जब्त माना जावेगा और प्रथम पक्ष अग्रिम धन वापिस लौटाने का पाबन्द न होगा तथा निम्नलिखित सम्पत्ति उक्त शर्तो की पाबन्दी से मुक्त मानी जावेगी। नं03:– यह कि शेष विक्रय मूल्य, द्वितीय पक्ष रजिस्ट्री समय प्रथम पक्ष को अदा करेगा और बैनामे के निष्पादन एव रजिस्ट्री का कुल खर्च बजिम्मे द्वितीय पक्ष रहेगा। यदि प्रथम पक्ष के बैनामा न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को बैनामे के निष्पादन की कार्यवाही अदालत मे करनी पडी तो जो खर्च अदालत मे होगा बजिम्मे प्रथम पक्ष रहेगा। जिसे द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से प्राप्त करने का अधिकार होगा। नं04:– यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार

Mohammad Ali

A. Qadir

A wahid

Aman

Shalini Gupta

होगा बैनामा स्वयं अपने नाम या अपने साथ अपने से सम्बन्धित व्यक्ति एक या एक से अधिक को शामिल करके कराये इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। ~~यदि प्रथम पक्ष को बैनामा करने के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति की बाबत कोई अनुमति किसी न्यायालय या विभाग या कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता हुई तो वह अनुमति प्रथम पक्ष अपने खर्च से प्राप्त करके उसकी लिखित सूचना द्वितीय पक्ष को देकर बैनामा करने का पाबन्द होगा~~। नं05:— यह कि प्रथम पक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का कोई प्रतिज्ञा पत्र विक्रय नही

किया हुआ है और न ही किसी भी तरीके से हस्तान्तरित है और न ही भविष्य मे करेगा। नं06:- यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष को कब्जा बैनामे के निष्पादन के समय दिया जावेगा तब तक प्रथम पक्ष का ही कब्जा रहेगा। नं07:- यह कि बैनामे के निष्पादन के समय सम्पत्ति निम्नलिखित पर यदि कोई मतालबा सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह का प्रथम पक्ष की ओर देय व बकाया हुआ तो प्रथम पक्ष उसे अदा अदा व बेबाक करते हुये बैनामा बहक द्वितीय पक्ष करने का पाबन्द रहेगा। नं08:- यह कि प्रथम पक्ष अन्दर

मियाद सम्पत्ति निम्नलिखित का बैनामा बहक द्वितीय पक्ष करने के पाबन्द होगे यदि परिस्थितिवश प्रथम पक्ष की किसी कमी के कारण या मौके पर उत्पन्न विवाद के कारण प्रथम पक्ष द्वितीय पर्क्ष के हक मे बैनामा नही कर पाते है, तो उत्पन्न समस्या के निपटाने की दिनांक से अन्दर मियाद दो 2 माह बैनामा करने के पाबन्द होंगे। यह कि उक्त शर्तों के दोनो पक्ष व उनके वारसान पूर्ण पाबन्द है, और भविष्य मे भी पाबन्द रहेगें। अस्तु यह प्रतिज्ञा पत्र विक्रय लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति–

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम सुजडू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:– जो कि कृषि भूमि खतौनी वर्ष 1419 ता 1424 फसली के

Mohammad Ali

A. Qadir

A Wahid

Shalini Gupta

खाता संख्या 648 के नम्बर खसरा **2155/0.8680 हैक्टेयर** का **5465/8680** भाग भागानुसार क्षेत्र **0.5465 हैक्टेयर** मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

नोट:- पृष्ठ 10 की सतर 3 में शब्द [illegible] व सतर [illegible]

Mohammed Ali

M. Ahmad

A. Qadir

A. Rashid

Shalini Gupta

साक्षी

साक्षी

तहरीर ता0:- 10-04-2017 ई0

ड्राफ्टकर्ता:- योगेन्द्र कुमार काम्बोज एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर

आज दिनांक 13/04/2017 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 9927

पृष्ठ सं. 311 से 356 पर क्रमांक 2565

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीमती रश्मि प्रभा (नरेश कुमार नि0सहायक)
उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
13/4/2017